न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सक्षम गोयल, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
207/2022	दावा 88, RTA	29.11.2022	21.03.2024

हरिप्रसाद पुत्र स्व. श्योकोरी पत्नी भोमाराम जाति मेघवाल निवासी ढाढर तहसील जिला चूरू
वादी

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र दुर्गाराम जाति नायक निवासी ढाढर तहसील व जिला चूरू
2. चौथूराम पुत्र दुर्गाराम जाति नायक निवासी ढाढर तहसील व जिला चूरू
3. पाना पुत्री दुर्गाराम जाति नायक निवासी ढाढर तहसील व जिला चूरू
4. मूली पुत्री दुर्गाराम जाति नायक निवासी ढाढर तहसील व जिला चूरू
5. महावीर पुत्र दुर्गाराम जाति नायक निवासी ढाढर तहसील व जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

निर्णय
दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित :— अधिवक्ता श्री हसन खां एडवोकेट वादी

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टीए. का पेश कर निवेदन किया कि श्योकोरी पत्नी भोमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम ढाढर तहसील जिला चूरू द्वारा कृषि भूमि कुल किता 02 खसरा संख्या 200 तादादी 04 बीघा 10 विश्वा एवं खसरा संख्या 762/70 तादादी 18 बीघा 07 बिश्वा कुल तादादी 22 बीघा 17 बिश्वा बारानी रोही ग्राम ढाढर, तहसील जिला चूरू में से श्रीमती सावित्री पत्नी श्री सत्यवीर जाति मेघवाल निवासी रावतसर तहसील राजगढ़ जिला चूरू से उक्त संयुक्त खातेदारी खसरान कृषि भूमि में से उसका सम्पूर्ण 425/5 हिस्सा कृषि भूमि दिनांक 28.12.2011 में से को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र खरीद की गई जिसका राजस्व रेकार्ड में नामान्तरण बैनामा के अनुसार दर्ज किया गया मगर विक्रेता की जाति मेघवाल के स्थान पर नायक लिख दी गई। जिस हिस्सा कृषि भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग बादी की माता का उसके जीवनकाल में चला आया। रजिस्ट्रर्ड बैनामा दिनांक 28.12.2011 की फोटो प्रति तथा वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न दावा है।

2. यह कि की उक्त बैनामा दिनांक 28.12.2011 के समय बैनामा में प्रलेख लेखक द्वारा भूलवश /टंकण के कारण वादी के पिता अर्थात वादी की माता श्योकोरी के पति का नाम भोमाराम के बजाय भैराराम लिखकर बैनामा तस्दीक करवा दिया गया। जो वर्तमान क्षेत्रफल ईकाई के अनुसार श्योकोरी पत्नी भैराराम हिस्सा 85/457 राजस्व रेकार्ड में संयुक्त एवं शामलाती दर्ज है। जबकि वादी की माता के तमाम दैनिक उपयोग के दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि तमाम दस्तावेजात में श्याकोरी पत्नी भोमाराम ... है वादी की माता व परिवार अनपढ़ है जिन्हें इस भूल व गलती की जानकारी ... उक्त खसरान भूमि के राजस्व रेकार्ड के अलावा बादी की माता के तमाम ... पति भोमाराम चला आया है। जिसकी फोटो प्रति संलग्न दावा की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:14 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि वादी की माता श्योकोरी का दिनांक 15.01.2018 को स्वंगवास हो गया तब से उक्त खसरान हिस्सा भूमि पर वादी का कब्जा कारत चला आ रहा है। वादी भी अनपढ व मजदूरी पेशा व्यक्ति रहा है इसलिए उपरोक्त गलत इन्द्राज की जानकारी वादी को भी नहीं हो सकी। दिनांक 20.11.2022 को वादी उक्त कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने के लिये तथा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी से मिला तथा उक्त खसरान भूमि के कागजात देखे तो वादी को मालूम हुआ कि उक्त खसरान भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम भोमाराम के स्थान पर मैराराम अर्थात श्योकोरी पत्नी भोमाराम के स्थान पर श्योकोरी पत्नी भैराराम दर्ज है तथा जाति मेघवाल के स्थान पर नायक दर्ज है, जबकि वादी की माता के अन्य दैनिक आवश्कताओं के तमाम दस्तावेजात आधार कार्ड, वोटर कार्ड तथा राशन कार्ड में वादी के पिता का नाम भोमाराम चला आया है। इसलिए बादी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में श्योकोरी पत्नी भैराराम के स्थान पर श्योकोरी पत्नी भोमाराम तथा जाति नायक के स्थान पर मेघवाल घोषित करवाया जाकर संशोधित करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

4. यह कि उक्त खसरान भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम भैराराम दर्ज है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात में नाम भोमाराम दर्ज होने के कारण वादी की माता श्योकोरी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण राजस्व रेकार्ड में वादी / वारिसान के नाम से दर्ज नहीं किया जा रहा है जिस कारण वादी उक्त खातेदारी कृषि भूमि से मिलने वाले सरकारी योजनाओं के लाभ एवं सुविधाओं से वंचित हो रहा है। इसलिए वादी को अपनी माता की उक्त खसरान खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में अपने पिता का नाम भैराराम के स्थान पर भोमाराम तथा जाति नायक के स्थान पर मेघवाल अर्थात श्योकोरी पत्नी भैराराम जाति नायक के स्थान पर श्योकोरी पत्नी भोमाराम जाति मेघवाल घोषित करवाया जाकर संशोधित करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिये वादी को वादाधार हासिल रहा है।

5. यह कि वादी की माता की उक्त खसरान कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम भैराराम के स्थान पर सही वास्तविक नाम भोमाराम तथा जाति नायक के स्थान प्र मेघवाल दर्ज किया जाता है तो राज्य सरकार सहखातेदारान व अन्य किसी को कोई नुकसान नहीं होगा तथा वादी के पक्ष में किसी भी प्रकार के कोई नये अधिकार सृजित नहीं होगे तथा ना ही राज्य सरकार, सहखातेदार व किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार समाप्त होंगे।

6. यह कि उपरोका वर्णित खसरा संख्या 200 एवं खसरा संख्या 762/70 खाता सख्या 346 (नया) रोही ग्राम ढाढर पटवार हल्का ढाढर, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चूरू, तहसील जिला चूरू के राजस्व रेकार्ड में दर्ज श्योकोरी पत्नी भैराराम हिस्सा 85/457 जाति नायक निवासी ढाढर खातेदार वादी की माता ही है, वादी की माता के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है तथा बैनामा दिनांक 28.12.2011 की कृषि भूमि वादी की माता द्वारा खरीद की गई थी। श्योकोरी पत्नी भोमाराम जाति मेघवाल निवासी ढाढर वादी की उक्त माता ही है अन्य कोई उक्त नाम का व्यक्ति नही रहा है

7. यह कि दावा घोषणात्मक, नाम व जाति संशोधन का है तथ्था दावा विक्री होने की सूरत में राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टियां तहसीलदार महोदय, [illegible] से होनी है इसलिए राजस्थान सरकार को दावा हाजा में तकमिलन पक्षकार बनाया [illegible] है [illegible] दावा में राज्य सरकार के हितों के प्रतिकूल असर डालने वाला कोई [illegible] था ही प्रतिवादीगण के किसी प्रकार के अधिकार समाप्त हो रहे है इसलिये धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस दिये जाने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:14 IST
Reason: SelfAttested

कानूनन आवश्यकता नहीं है जिस कारण धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस दिये बिना ही दावा पेश किया गया है।

8. यह कि वर्णित कृषि भूमि रोही ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज) में स्थित होने से यह वाद सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को हासिल रहा है तथा वाद वाजिब न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान के समक्ष दावा पेश कर निवेदन है कि वादी की माता की संयुक्त एवं शामलाती खातेदारी की कृषि भूमि कुल किता 02 खेत खसरा संख्या 200 तादादी 1.1382 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 762/70 तादादी 4.6412 हैक्टेयर कुल तादादी 5.7794 हैक्टेयर बारानी रोही ग्राम ढाढर, पटवार हल्का ढाढर, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चूरू, तहसील जिला चूरू के राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज श्योकोरी पत्नी भैराराम जाति नायक के स्थान पर श्योकोरी पत्नी भोमाराम जाति मेघवाल अर्थात वादी के पिता का नाम भैराराम के स्थान पर भोमाराम तथा जाति नायक के स्थान पर मेघवाल घोषित कर उक्त खसरान कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में संशोधित कर दर्ज करने के आदेश फरमायें।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 पर विधिवत तामील होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई तहसीलदार चूरू से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम के मजमे आम में पूछताछ की गई। ग्राम रोही ढाढर के खसरा नम्बर 200, 762/70 में शामलाती हिस्सा श्योकोरी धर्मपत्नी भैराराम जाति मेघवाल में जाति नायक विक्रय पत्र के दौरान गलत दर्ज हुई है। श्योकोरी की जाति नायक के स्थान पर मेघवाल किया जाना उचित है। प्राथी की माता श्योकोरी का उक्त खाता में श्योकोरी धर्मपत्नी भैराराम दर्ज है, जबकि भैराराम नाम श्योकोरी के ससुर का नाम था। ग्राम के मौतवीरान ने पूछताछ बताया कि श्योकोरी के पति का नाम भोमाराम था। जबकि उक्त खसरा भूमि में सहवन से पति के नाम के स्थान पर ससुर भैराराम नाम दर्ज हो गया। मुताबिक पूछताछ व अभिलेख जाब अनुसार उक्त खसरान में श्योकोरी धर्मपत्नी भैराराम जाति नायक के स्थान पर श्योकारी पत्नी भोमाराम जाति मेघवाल किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली, पेश दस्तावेजों, पक्षकारों के शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत ग्राम रोही ढाढर के खसरा नम्बर 200, 762/70 हिस्सा 85/457 तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में वादी की माता द्वारा उक्त भूमि की खरीद करते समय वादी के पिता का गलत रूप से भैराराम दर्ज हो गया जबकि भैराराम वादी के दादा का नाम है व जाति विक्रय पत्र में मेघवाल ही है जो नामान्तरण के समय नायक दर्ज हो गई जबकि जाति मेघवाल है। वादी द्वारा पेश [illegible] दावा के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि वादी की माता की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। राजस्व रिकार्ड में [illegible] नाम व जाति गलत दर्ज चले आने के वादी की माता के वारिसान को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार का पुत्र है इसलिए उन्हें राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज नाम को दस्तावेजों के अनुरूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:14 IST
Reason: SelfAttested

दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी के पिता का नाम दुरूस्त किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों, शपथ पत्रों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात शपथ पत्र रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि ग्राम रोही ढाढर के खसरा नम्बर 200, 762/70 तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी की माता का नाम श्योकोरी पत्नी भैराराम जाति नायक के स्थान पर श्योकोरी पत्नी भोमाराम जाति मेघवाल घोषित किया जता है। किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्टेट
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:14 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री सक्षम गोयल आई.ए.एस.

हरिप्रसाद पुत्र स्व. श्योकोरी पत्नी भोमाराम जाति मेघवाल निवासी ढाढर तहसील जिला चूरू
वादी

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र दुर्गाराम जाति नायक निवासी ढाढर तहसील व जिला चूरू
2. चौथूराम पुत्र दुर्गाराम जाति नायक निवासी ढाढर तहसील व जिला चूरू
3. पाना पुत्री दुर्गाराम जाति नायक निवासी ढाढर तहसील व जिला चूरू
4. मूली पुत्री दुर्गाराम जाति नायक निवासी ढाढर तहसील व जिला चूरू
5. महावीर पुत्र दुर्गाराम जाति नायक निवासी ढाढर तहसील व जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 207 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री हसनखां एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि ग्राम रोही ढाढर के खसरा नम्बर 200, 762/70 तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी की माता का नाम श्योकोरी पत्नी भैराराम जाति नायक के स्थान पर श्योकोरी पत्नी भोमाराम जाति मेघवाल घोषित किया जता है। किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21 माह मार्च सन् 2024 को जारी की गई।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्टेट
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:14 IST
Reason: SelfAttested